

प्रेषक,

आर० पी० सिंह,
अनु सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग—2

विषय— जनपद सोनभद्र के ओबरा वन प्रभाग में मै० अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि�०, डाला, सोनभद्र द्वारा कजरहट (डाला) लाईम स्टोन माइन्स के अन्तर्गत 294.082 है० आरक्षित वनभूमि एवं भलुआ लाईम स्टोन माइन्स के अन्तर्गत 50.606 है० आरक्षित वनभूमि अर्थात् कुल 344.688 है० आरक्षित वनभूमि पर खनन कार्य हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत 30 वर्षों के लीज पर हस्तान्तरित किये जाने एवं बाधक 16534 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

(प्रस्ताव संख्या—एफपी/यूपी/Min/47074/2020)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या—६७४/११—सी—एफपी/यूपी/Min/47074/2020 दिनांक 28.05.2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के परीक्षणोंपरान्त पाया गया है कि परियोजना के साथ पार्ट—१ में यूजर एजेन्सी द्वारा लीज अवधि 10 वर्ष अंकित की गई है। प्रस्ताव के पृष्ठ—२२१ पर लीज अवधि के सम्बन्ध में 10 वर्ष हेतु बचनबद्धता संलग्न की गई है। मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी के पत्र में लीज अवधि 30 वर्ष अंकित की गई है। यूजर एजेन्सी के पार्ट—१ एवं नोडल अधिकारी के प्रस्ताव में अन्तर है। प्रस्ताव के पार्ट—२ के बिन्दु—११ में उल्लंघन के सम्बन्ध में सूचनायें अंकित की गई है, उल्लंघन की अवधि 46 वर्ष अंकित की गई है, परन्तु उल्लंघन हेतु दोषी अधिकारी/व्यक्ति नाम न अंकित करते हुए "कोई नहीं" (None) अंकित किया गया है। उक्त के अतिरिक्त प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत समुचित परीक्षण भी किया जाय।

२— इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्तानुसार रिथति स्पष्ट करते हुए अपनी सुस्पष्ट संस्तुति सहित प्रस्ताव शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
Singh
(आर० पी० सिंह)
अनु सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, ओबरा।
3. सी०ओ०ओ०, मै० अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि�०, यूनिट—डाला सीमेन्ट वर्क्स, एस०एच०—५ पोस्ट डाला जनपद—सोनभद्र।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर० पी० सिंह)
अनु सचिव